



## कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

### प्रेस - विज्ञप्ति

दिनांक- 28.09.2021

दिनांक 16.07.2021 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत हुई टप्पेबाजी की घटना का सफल अनावरण करते हुये थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा टप्पेबाजी की घटना को कारित करने वाले शातिर किस्म के अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से धोखाधड़ी करके जो रुपये चोरी किये गये थे, उनके द्वारा खर्च करने का बाद शेष 87,990/- नगद बरामद करने में सफलता प्राप्त की गयी।

1- श्रीमान् पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कमिश्नरेट वाराणसी क्षेत्र में हो रही टप्पेबाजी की घटनाओं के अनावरण के क्रम में दिनांक 16.07.2021 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत हुई टप्पेबाजी की घटना का सफल अनावरण हेतु पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देशन में आज दिनांक 28.09/2021 को कोतवाली पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली पर दिनांक 17.07.2021 को पंजीकृत मु0अ0सं0 64/2021 धारा 379/420 भादवि में वादी मुकदमा श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा निवासी बक्सर बिहार के पुत्र व उसके रिस्तेदार से जिन टप्पेबाजों द्वारा धोखाधड़ी करके उनके पास जो बैंग में रुपये थे ले लिया गया था। उस घटना को कारित करने वाले शातिर किस्म के अपराधी/टप्पेबाजों को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार करने सफलता प्राप्त की गयी। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना पुलिस कोतवाली द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2- घटना का विवरण व कार्यवाही- वादी मुकदमा श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा निवासी बक्सर बिहार द्वारा सूचना दिया गया कि दिनांक 16.07.2021 को अपने निवास स्थान बक्सर से चांदी के जेवर खरीदने के लिए अपने पुत्र रंजन कुमार वर्मा व अपने रिस्तेदार देवदीप वर्मा के साथ बनारस आ रहे थे। जब वे लोग मछोदरी पार्क ( स्वामी नारायण मंदिर ) के पास अपनी गाड़ी से उतरकर चौक के लिए रिक्शा का इंतजार करने लगे तो उसी समय टप्पेबाजों द्वारा आकर उन सभी लोगों को बहलाफुसलाकर उनके पास रखे रुपयों को धोखाधड़ी करके ले लिया गया के संबंध में थाना कोतवाली पर दिनांक 17.07.2021 को मु0अ0सं0 64/21 धारा 379/420 भादवि पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री अमित कुमार शुक्ला द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र व अन्य थाना क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंचाला गया और सीसीटीवी कैमरे से वीडियो फुटेज प्राप्त कर घटना में प्रयुक्त टाटा इण्डियों गाड़ी वाहन सं0 यू.पी. 32 एफ.जे. 3453 की जानकारी प्राप्त कर। मुखबिर खास को सूचना देकर मामूर किया गया था। उक्त सूचना के क्रम में आज मुखबिर द्वारा प्रभारी निरीक्षक को इस घटना को कारित करने वाले टप्पेबाजों का सटीक लोकेशन बताया गया। जिसके क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली द्वारा मय पुलिस टीम के टप्पेबाजों को मौके से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी तथा टप्पेबाजों के पास से जो रुपये वादी मुकदमा तथा उसके लड़के व उसके रिस्तेदार से ले लिया गया था उन रुपये में से 87990/- बरामद करने में सफलता प्राप्त करते हुये भारी मात्रा में विभिन्न रंग के छोटें बड़े नग, एक जोड़ी पीली धातु का कंगन व घटना में कारित करने वाले वाहन टाटा इण्डिको का बरामद करने में सफलता प्राप्त की गयी।

3. विवरण पूछताछ अभियुक्त:- अभियुक्तगण पूछताछ पर बता रहे हैं कि हम लोग आपस में मिलकर वाराणसी शहर के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर व बाजारों में घूम घूम कर लोगों को अपने बातचीत में उलझाकर व धोखाधड़ी करके उनके पास रखे हुये रुपये व उनके असली जेवरात को अपने पास रखे नकली जेवरात से बदल कर फरार हो जाते हैं। इसी क्रम में हम सभी लोग दिनांक 16.07.2021 को गायघाट के पास मिले व्यक्तियों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाकर उन लोगों के बैंग से लगभग पाँच लाख रुपये निकाल लिए और वहां से भाग गये थे। हम लोगों के पास से जो नग और अंगूठी बरामद हुआ है वह सभी नकली है, हम लोग नकली नग और अंगूठी को लेकर घूमते रहते हैं और लोगों को असली बताकर धोखे में रखते हुये बैंच देते हैं या अपनी बातों में उलझाकर, ध्यान भटकाकर लोगों के असली सामान से बदल लेते हैं। साहब जो पाँच लाख रुपया हम लोगों को मिला था। उस रुपये को हम सभी लोग आपस में मिलकर बराबर-बराबर बाँट लिये थे। आज हम सभी लोग मिलकर फिर नग, वगैरा लेकर किसी के साथ धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से बनारस आये थे। कि पुलिस टीम द्वारा हम सभी लोगों को पकड़ लिया गया है। हम लोग इसी तरह की घटनाएँ कारित करते रहते हैं।

### पंजीकृत अभियोग का विवरण-

0064/21 धारा 379/420/34/411 भादवि थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी

### आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 64/21 धारा 379/420/34/411 भादवि थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी। अन्य अपराध के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

### गिरफ्तार अपराधियों का विवरण-

- 1- फतेह अली पुत्र फरमान अली नि. 466/81 पीर गुफारा चौक थाना ठाकुरगंज जिला लखनऊ उम्र 48 वर्ष।
- 2- आबिद अली जाफरी पुत्र एजाज अली नि0 467/153 शीशमहल हुसैनाबाद लखनऊ हाल पता 27 गल्लाबाजार सुरैया मंजिल थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ उम्र 34 वर्ष।
- 3- मजलूम हुसैन जाफरी पुत्र सैयद अकबर अली हुसैन जाफरी मकान नं0 400 जयप्रकाश वार्ड गली नं0 2 थाना पिपरिया जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश उम्र 45 वर्ष।
- 4- शहबाज अली पुल मुख्तार अली नि0 466/81 पीर गुफारा थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र 29 वर्ष।

### विवरण बरामदगी -

1. 87990/- रुपये नगद
2. 157 अदद विभिन्न रंग के छोटे बड़े नग
3. एक जोड़ी पीली धातु का कंगन
4. एक अदद पीली धातु की टूटी हुयी अंगूडी
5. एक अदद पीली धातु की लाकेट
6. 12 अदद पहचान पत्र व डेबिड कार्ड
7. 6 अदद मोबाइल अलग-2 कम्पनी के
8. एक अदद सफेद कलर की टाटा इंडिगो कार

### गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश कुमार सिंह, थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी
2. उ0नि0 प्रभाकर सिंह थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी
3. उ0नि0 प्रेमनारायण ओझा थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी
4. उ0नि0 सन्तोष कुमार यादव थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी
5. का0 शुभम सिंह थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी
6. का0 सर्वेश सिंह थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी
7. का0 पुरुषोत्तम मिश्रा थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी
8. का0 राहुल सिंह थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी
9. चालक का0 पंकज राय थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त,  
जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी।

